


10/6/21

परावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष
उपस्थित नहीं। न्यायालय समय के कार-
बात आवाज दिलवानी गयी किन्तु
कोई उपस्थित नहीं। रूक में परावली
का सुनवाई परमादेश अथवा डिप्रे
जा चुके हैं अतः परावली अदक हाजरी
अदम पेशी में खारिजा की जाती है।
परावली के माल सुमात हक नम्बर से
कक हो


अति जिला कलक्टर
रायतभाटा (चित्तौड़गढ़)